रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 2008/कार्तिक 1, 1930
No. 171] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2008/KARTIKA 1, 1930

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2008

सं. भा.आ.प.-34(41)/2008-मेडि./29527.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2008" कहा जाए ।

2. स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :

3. "अन्तरण/स्थानांतरण" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 6 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"1. भारत में एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में छात्रों के अंतरण की अनुमति, सही और पर्याप्त कारणों से, आवेदकों में से सबसे अधिक पात्र आवेदक को नैत्यक आधार पर बल्कि केवल आपवादिक मामले में प्रदान की जाएगी । एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किए जाने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी जो किसी भी स्थिति में एक शैक्षिक वर्ष में अपनी स्वीकृत प्रवेश संख्या की 5% सीमा से अधिक नहीं होगी । किसी भी आधार पर एक ही शहर में स्थित एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में अन्तरण नहीं किया जाएगा ।

2. एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में छात्रों के अन्तरण की अनुमति केवल तभी है, यदि दोनों मेडिकल कालेज, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11 (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और इसके अलावा शर्त भी होगी कि इसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता मेडिकल

कालेज के संबंध में संबंधित शैक्षिक वर्ष के लिए स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं होगी ।

3. आवेदक अभ्यर्थी केवल पहली व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही, अन्तरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा । अध्ययन के नैदानिक पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी आधार पर अन्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. अन्तरण के उद्देश्य के लिए आवेदक अभ्यर्थी पहले उस कालेज, जहाँ वह इस समय अध्ययनरत है, उस विश्वविद्यालय से जिसके साथ वह कालेज सम्बद्ध है, उस कालेज से जिसमें अंतरण की मांग की गई है और उस विश्वविद्यालय से जिसके साथ वह कालेज सम्बद्ध है, 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करेगा/करेंगी । वह उक्त, 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के साथ पहली व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने (परिणाम की घोषणा) के महीने की अवधि के अन्दर अन्तरण के लिए अपना आवेदन-पत्र, उस राज्य के चिकित्सा शिक्षा निदेशक को, जहाँ कालेज/संस्थान, जिसमें वे मानित विश्वविद्यालय भी शामिल है, जिनमें अन्तरण की माँग की गई है, स्थित है या यदि अन्तरण की माँग किसी केन्द्रीय सरकार के संस्थान में की गई है तो संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगा/करेगी । संबंधित राज्य का चिकित्सा शिक्षा निदेशक या केन्द्रीय सरकार के संस्थान का प्रमुख, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा कि क्या इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अन्तरण की अनुमति दी जाए या नहीं और अन्तरण के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के अन्दर आवेदक छात्र को संसूचित करेगा ।

5. जो छात्र अन्तरण के आधार पर दूसरे कालेज में शामिल हुआ है, वह विनियम 12 (1) के अंतर्गत विनिर्धारित परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक विषयों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों आदि में उस कालेज में न्यूनतम उपस्थिति प्राप्त करने के पश्चात् ही दूसरे वर्ष की व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

टिप्पणी-1 : राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संस्थान, इन विनियमों के उपबंधों की शर्त के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अन्तरण, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है ।

टिप्पणी-2 : इन विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत कवर न होने वाले अन्तरण के किसी अनुरोध को, राज्य के निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) या केन्द्रीय सरकार के संबंधित संस्थान प्रमुख द्वारा व्यैक्तिक गुणावगुण के आधार पर विचार के लिए भारतीय आर्युविज्ञान परिषद के पास भेजा जाएगा । ऐसे अनुरोधों पर परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टिप्पणी-3 : कालेज/संस्थान, छात्रों के कॉलेज में शामिल होने के एक महीने के अंदर अंतरण के आधार पर उनके द्वारा दाखिल किए गए छात्रों की संख्या के बारे में भारतीय आर्युविज्ञान परिषद को सूचना भेजेंगे । परिषद् को यह छूट होगी कि वह किसी भी समय कालेजों द्वारा अंतरण को नियंत्रित करने वाले विनियमों के उपबंधों के अनुपालन का सत्यापन कर सके ।

4. 'चरण- II और चरण- III के नैदानिक विषय ' शीर्षक के अन्तर्गत खंड 11 में 'साझा औषधि ' उपखण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

(7) **'आपातकालीन औषधि '** - यह एक जनरल विभाग होना चाहिए । एक संपूर्ण विभाग सृजित हो जाने के समय तक यह संचेतनाहरण विभाग के नियंत्रण में हो सकता है ।

5. (i) खण्ड 12 (i) में 'बशर्ते कि उसकी उपस्थिति 80% हो ' को 'शामिल करते हुए ' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) खण्ड 12 (3) में 'विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ ' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 और 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'यथानिर्धारित सिद्धांत के प्रश्न-पत्र परीक्षकों द्वारा तैयार किए जाएंगे । प्रश्नों के स्वरूप संक्षिप्त उत्तर वाले/विषयपरक प्रकार के होंगे और प्रत्येक भाग के अंक अलग से दर्शाएं जाएंगे । प्रश्न-पत्र वरीयतः संक्षिप्त स्वरूप के/विषयपरक प्रकार के होने चाहिए ।

प्रयोगात्मक/नैदानिक परीक्षाएँ, प्रयोगशालाओं या अस्पताल के वार्डों में आयोजित की जाएगी । इसका उद्देश्य यह होगा कि कौशलों में दक्षता का मूल्यांकन किया जाए, प्रयोग किए गए आँकड़ों की व्याख्या की जाए और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जाएं ।

नैदानिक रोगों में वरीयतः सामान्य रोग शामिल किए जाने चाहिए और गोपनीय संलक्षण या विरल विकृतियाँ नहीं । शारीरिक लक्षणों और उनकी व्याख्याओं का निष्कर्ष निकालने में अभ्यर्थी की क्षमता पर जोर दिया जाना चाहिए । **नैदानिक रोगों/प्रायोगिक परीक्षाओं में ऐसे आम रोग शामिल किए जाएंगे, जिनके व्यवसाय में संपर्क में आने की सम्भावना हो । विरल मामले/अज्ञात संलक्षण, तंत्रिका-विज्ञान के पुराने मामले अंतिम परीक्षा के लिए नहीं रखे जाएंगे ।'**

टिप्पणीः

क. चरण-II की प्रशिक्षण में जाने से पहले, पहली व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

ख. जो छात्र दूसरी व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे तीसरी व्यावसायिक भाग-I की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक वह दूसरी व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण न हो जाए ।

ग. तीसरी व्यावसायिक (भाग-II) परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु तीसरी व्यावसायिक (भाग-I) परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।'

(iii) प्रसूति और स्त्रीरोग-विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 12 (4) (ग) में 'नैदानिक अर्थात 60 अंक ' के सामने उल्लेख किए गए अंकों को '50 अंक ' द्वारा और 'आंतरिक मूल्यांकन 60 (सिद्धांत-30; प्रयोगात्मक-30) ' को 'आंतरिक मूल्यांकन 40 (सिद्धांत-20; प्रयोगात्मक-20)' द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा** ।

6 (i) खण्ड 14 (1) में **'करेगा'** शब्द को **'शिक्षण पद्धतियाँ/रूपात्मकताएं सीखने के लिए'** के द्वारा **प्रतिस्थापित किया जाएगा** ।

(ii) **'इनटर्नशिप - समय का** वितरण' शीर्षक के अन्तर्गत खण्ड 14 (4) को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित किया** जाएगा;

"अनिवार्य

साझा औषधि	**2 महीने**
मनोश्चिकित्सा के 15 दिन सहित औषधि	2 महीने
संचेतनाहरण चिकित्सा के 15 दिन सहित शल्य चिकित्सा	2 महीने

परिवार कल्याण योजना सहित प्रसूति-विज्ञान/स्त्रीरोग विज्ञान	2 महीने
बाल-रोग-विज्ञान	1 महीना
पी.एम.आर. सहित विकलांग विज्ञान	1 महीना
ई एन टी	15 दिन
नेत्र-विज्ञान	15 दिन
आकस्मिकता	15 दिन
चयनात्मक तैनाती (1 x 15 दिन)	15 दिन

चयनात्मक तैनाती के विषय निम्नलिखित होंगे:-

(i) त्वचा-विज्ञान और मैथुनिक तरीके से संचारित रोग
(ii) तपेदिक और श्वसनी रोग
(iii) रेडियो-निदान
(iv) न्यायलयीय औषधि
(v) रक्त बैंक
(vi) मनोश्चिकित्सा

टिप्पणी: इन्टर्नशिप के अंत में कालेज द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ संरचना इन्टर्नशिप ।"

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः 'स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997' भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत, भारत के गजट के भाग- III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे परिषद की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003 तथा 01.03.2004 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

लेफ्टि. क. डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड (से.नि.), सचिव

[विज्ञापन III/4/100/2008/असा.]

4100 GI/08-2

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2008

No. MCI-34(41)/2008-Med./29527.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely:-

1. These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2008."

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. Clause 6(1) under heading "**Migration/Transfer**" **shall be substituted** as under:

"(1) Migration of students from one medical college to another medical college in India shall be granted only in exceptional cases to the most deserving among the applicants for good and sufficient reasons and not on routine grounds. The number of students migrating to/from any one medical college shall be kept to the minimum which shall in any case not exceed the limit of 5% of its sanctioned intake in one academic year. There shall be no migration on any ground from one medical college to another located in the same city.

(2) Migration of students from one College to another is permissible only if both the colleges are recognised by the Central Government under section 11(2) of the Indian Medical Council Act,1956 and further subject to the condition that it shall not result in increase in the sanctioned intake capacity for the academic year concerned in respect of the receiving medical college.

(3) The applicant candidate shall be eligible to apply for migration only after qualifying in the first professional MBBS examination. Migration during clinical course of study shall not be allowed on any ground.

(4) For the purpose of migration, an applicant candidate shall first obtain 'No Objection Certificates' from the college where he is studying for the present, the University to which it is affiliated to, the college to which migration is sought and the University to which that college is affiliated to. He shall submit his application for migration within a period of one month of passing (declaration of results) of the first professional MBBS examination alongwith the said 'No Objection Certificates' to the Director, Medical Education of the State where the College/Institutions

including Deemed Universities to which migration is sought is situated or to the Head of the Institution in case migration is sought to a Central Government institution. The Director, Medical Education of the State concerned or the Head of the Central Government institution, as the case may be, shall take a final decision in the matter as to whether or not to allow migration in accordance with the provisions of these Regulations and communicate the same to the applicant student within a period of one month from the date of receipt of the request for migration.

(5) A student who has joined another college on migration shall be eligible to appear in the IInd professional MBBS examination only after attaining the minimum attendance in that college in the subjects, lectures, seminars etc. required for appearing in the examination prescribed under Regulation 12(1)

Note-1: The State Governments/Universities/Institutions may frame appropriate guidelines for grant of No Objection Certificate or migration, as the case may be, to the students subject to provisions of these regulations.

Note-2: Any request for migration not covered under the provisions of these Regulations shall be referred to the Medical Council of India for consideration on individual merits by the Director (Medical Education) of the State or the Head of Central Government Institution concerned. The decision taken by the Council on such requests shall be final.

Note-3: The College/Institutions shall send intimation to the Medical Council of India about the number of students admitted by them on migration within one month of their joining. It shall be open to the Council to undertake verification of the compliance of the provisions of the regulations governing migration by the Colleges at any point of time."

4. In Clause 11 under heading "CLINICAL SUBJECTS OF PHASE II & PHASE III" the following **shall be added** after sub-clause (6) "COMMUNITY MEDICINE":-

"(7)EMERGENCY MEDICINE - This must be a general department. Till such time a full fledged department is created this may be under the control of the department of anaesthesia."

5. (i) In Clause 12(1), the words "provided he/she has 80%" **shall be substituted** by "inclusive of".

(ii) In Clause 12(3) under heading "University Examinations", para 1 & 2 **shall be substituted** by the following:

"Theory papers will be prepared by the examiners as prescribed. Nature of questions will be short answer type/objective type and marks for each part indicated separately. Question papers should preferably be of short structure/objective type.

Practicals/clinicals will be conducted in the laboratories or hospital wards. The objective will be to assess proficiency in skills, conduct of experiment, interpretation of data and logical conclusion. Clinical cases should preferably include common diseases and not esoteric syndromes or rare disorders. Emphasis should be on candidate's capability in eliciting physical signs and their interpretation. **Clinical cases/practicals shall take into account common diseases which the student is likely to come in contact in practice. Rare cases/obscure syndromes, long cases of neurology shall not be put for final examination."**

Note:

a) Passing in Ist Professional is compulsory before proceeding to Phase II training.

b) A student who fails in the IInd professional examination, should not be allowed to appear IIIrd Professional Part I examination unless he passes all subjects of IInd Professional examination.

c) Passing in IIIrd Professional (Part-I) is compulsory for being eligible for IIIrd Professional (Part II) examination."

(iii) In Clause 12(4)(c) under the heading **Obstetrics and Gynaecology** the marks mentioned against "clinical i.e. 60 marks" **shall be substituted** "50 marks" and "Internal assessment 60(Theory-30; Practical-30)" **shall be substituted** by "Internal assessment 40(Theory–20; Practical-20)"

6. (i) In Clause 14(1), the word "conduct" **shall be substituted** by **"learn methods/modalities** for"

(ii) Clause 14(4) under the heading **"INTERNSHIP- TIME DISTRIBUTION" shall be substituted** by the following:

"COMPULSORY

Community Medicine	**2 months**
Medicine including 15 days of Psychiatry	2 months
Surgery including 15 days Anaesthesia	2 months
Obst./Gynae. including Family Welfare Planning	2 months
Paediatrics	**1 month**
Orthopaedics including PMR	**1 month**
ENT	15 days
Ophthalmology	15 days
Casualty	15 days

Elective Posting (1x15 days) 15 days

Subjects for Elective posting will be as follows:

i) Dermatology and Sexually Transmitted Diseases.
ii) Tuberculosis and Respiratory Diseases.
iii) Radio-Diagnosis
iv) Forensic Medicine
v) Blood Bank
vi) Psychiatry

Note: Structure internship with college assessment at the end of the internship."

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended vide Council notification dated 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003 & 01.03.2004.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/2008/Exty.]

4100 GI/08-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.